

है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 01.02.2022 को पेश हो।

श्रीउर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

01.02.22 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 14.03.22 को पेश हो।

श्रीउर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

14.03.22 पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. अन्याय प्रवृत्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 19.04.22 को पेश हो।

श्रीउर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


19.04.2022

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का मेश करने से आज मेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता विमकी संख्या 3 व 4 की ओर प्रतिनिधी उमस्त्रित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना - पत्र मेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के बीच आमसी धार्ता के बाद समझौता हो गया है एवं विमकी संख्या 3-4 द्वारा प्रार्थी (राजस्थान वित्त निगम) की वन टाईम सेटलमेंट स्कीम 2021 के तहत समझौता राशि कुलिचा प्रार्थी निगम को अदा कर दी है प्रार्थी उक्त प्रकरण में अब कोई का नही-चाहता है।

प.सं 38/2020

(राजस्थान वित्त निगम बनाम सहस्रम प्राधिकारी)

अतः उभयपक्षकारान के बीच आपसी
बातचीत से राजीनामा/समझौता हो जाने से
एवं प्राची द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन
इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहने से प्राची द्वारा जोरिये अधिवक्ता
उक्त प्रकरण को विद्रो/खारिज करने
के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को
स्वीकार किया जाता है एवं प्राची
द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत
द्वारा उ जी 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिनियम में कार्यवाही इसी स्तर पर
ड्राप की जाती है। यथावली फ़ैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।


जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा